

न्याय

प्रकरण क्रमांक

द्वितीय अपाल/2014 रापपुच

1. 692-11/14

श्री. कुवरा सिंह कुशवाह, माली

विरुद्ध आज दि. 28.2.14 का

प्रस्तुत

28.2.14
कोर्ट

1. सवाई पुत्र बहादुर आदिवासी
2. अंगूनी पत्नी सवाई आदिवासी,
निवासी- ग्राम-सतनबाड़ा खुर्द,
तहसील/जिला-शिवपुरी

... आवेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक अपील 692-तीन/2014

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-5-2014	<p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री कुवंरसिंह कुशवाह एवं शासकीय पैनल अधिवक्ता श्रीमती नीना पाण्डे द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया।</p> <p>2/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील आयुक्त ग्वालियर संभाग के प्रकरण क्रमांक 84/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-2-13 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा ग्राम सतनबाड़ा खुर्द स्थित भूमि खसरा क्रमांक 243/1 रकबा 1.5 हे0 भूमि को विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे कलेक्टर शिवपुरी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-7-12 से निरस्त किया गया। आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश दिनांक 23-7-12 को निरस्त कर प्रकरण कलेक्टर की ओर इस निर्देश के साथ भेजा कि वह विधिवत जांच उपरांत गुण-दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करें। स्पष्ट है आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर पुनः विधिवत जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है,</p>	

